

## प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनोपीओवी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या—एफ०एन० ५—३/२००७ (एफ०सी०, डिवीजन) दिनॉक—०५—०२—२००९ व संशोधित पत्र संख्या—एफ०एन० ५—३/२०११—एफ०सी० (VOL-1) दिनॉक—०६—०१—२०२२ व दिनॉक—१९—०१—२०२२ द्वारा वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एनोपीओवी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई—पोर्टल से उत्पन्न ई—चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

+ ५०१२  
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

उत्प्र० जल विभाग (प्राधीन) उरर्द  
Mr. K. Gupta  
Executive Engineer  
Orai, Division, UP Jal Nigam  
Gramin, Orai (U.P.)